



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, दूरभाष : 0141-2552796

क्रमांक : प.11(4) / RSSB / वाहन / 2020-21 /

दिनांक: 18/08/20

खुली निविदा सूचना (2020-21/05)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में किराए के वाहन मासिक/आवश्यकतानुसार लेने के लिए अनुभवी/पंजीकृत टैक्सी/वाहन मालिकों से निर्धारित प्रपत्र गें सीलवंद निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं:-

क्र. सं	विषय	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	खोली प्रतिभूति राशि
1.	<p>आकर्षित यात्राओं हेतु:-</p> <p>(क)- टैक्सी वाहन जयपुर (रशानिय), राजस्थान एवं दिल्ली हेतु आवश्यकतानुसार वाहन।</p> <p>(ख)- गिनी वस/वस/टैम्पो/ट्रक परीक्षाओं के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन।</p>	रु. 5.00 साथ	रु. 400/-	10.000/-

निविदा प्रपत्र मय शर्तों एवं विवरण सहित इस कार्यालय की राकड़ शर्तों से दिनांक 18.08.20 से दिनांक 24.08.20 तक अपराह्न 1:00 बजे तक विक्रय किए जायेंगे तथा भरी हुई निविदाएँ दिनांक 24.08.20 को अपराह्न 3:00 बजे तक स्वीकार की जायेंगी। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24.08.20 को अपराह्न 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के सामग्री कंगेटी द्वारा खोली जायेंगी। सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट/वैकं चैक के माध्यम से निविदा शुल्क जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा खोली प्रतिभूति राशि जमा की जा सकती है। निविदा प्रपत्र डाक से मंगवाने पर डाक खाता राशि 50/- अलग से देय होगा।

(डॉ. मुकुट दी. जांगिड)
सचिव

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

विड प्रपत्र

आकस्मिक यात्राओं हेतु/आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने

1. विड प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम.....

डाक का पूर्ण पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.....

PAN नम्बर..... खाता संख्या..... बैंक का नाम मय शास्त्री

आईएफएसआई कोड.....

2. जिसे संबोधित किया गया है – सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
 3. विड शुल्क की रकम रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) नकद/रस्ती/बैंक ड्रॉफ्ट नं. दिनांक..... द्वारा जमा करा दी गई है/संलग्न है।
नोट :— वेबसाइट से विड प्रपत्र डाउनलोड करने पर विड शुल्क की राशि पृथक से डी.डी./चैक द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
 4. विड संख्या 2020-21/..... में घण्टित समर्त शर्तों का तथा उक्त विड स्टूडना की अन्य शर्तें, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है (जिनके समर्त पृष्ठों पर उनमें घण्टित शर्तों का इमारे द्वारा स्वीकार किये जाने पर प्रतिश्वरूप, हमने हरताक्षर कर दिये हैं।) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
 5. बोली प्रतिभूति राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हमार मात्र) नकद रस्ती/बैंक ड्रॉफ्ट संख्या.... दिनांक..... के द्वारा जमा कराई गई है/संलग्न है।
 6. किसी भी विड अथवा रुमरत विड को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अन्तीकार करने का अधिकार सचिव, RSSB को होगा।
 7. बोलीदाता द्वारा बोर्ड की शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त अंकित नहीं की जायेगी एवं ऐसा करने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा। केवल बोर्ड द्वारा मांगी गयी दरों पर ही हितार किया जायेगा।
 8. बोलीदाता वाहन मालिक/फर्म को निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे : संलग्न नहीं होने की स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
1. पहचान पत्र 2. पैन कार्ड की फोटो कॉपी 3. फर्म की स्थिति में GST Registration, TAN आवंटन की फोटो प्रति/फर्म की रजिस्ट्रेशन प्रति

बोलीदाता के हरताक्षर
फर्म की मोहर

" दर अनुसूची "

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रते (कि.मी.) (GST टोलटेक्स व अन्य सभी दर सहित) (राजस्थान राज्य की यात्राओं/राज्य से प्रवृत्ती की यात्राओं हेतु) (प्रतिदिन न्यूनतम 250 कि.मी. वाहन के आधार पर) कर सहित	प्रति कि मी. जयपुर शहर में सामानीय कार्यों के लिए) (GST टोलटेक्स व अन्य सभी करों सहित) (प्रतिदिन न्यूनतम 80 कि.मी. चलने के आधार पर) कर सहित
A- टैक्सी वाहन			
1	टाटा हूपेटका/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
2	टाटा हूपेटका/समकक्ष वाहन (A.C.)		
3	टाटा इंडिगो/सिपाही डिजायर/ SX-4 समकक्ष (Non A.C.)		
4	टाटा इंडिगो/सिपाही डिजायर/ SX-4 समकक्ष (A.C.)		
5	टयरा/एप्टिक्स वाहन (Non A.C.)		
6	टयरा/एप्टिक्स वाहन (A.C.)		
7	विगर/ट्रैफिक/ समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
8	विगर/ट्रैफिक/ समकक्ष वाहन (A.C.)		
9	इनोजा/Xylo/ समकक्ष वाहन. (Non A.C.)		
10	इनोजा/Xylo/ समकक्ष वाहन (A.C.)		
B- मिनी बस/बस/टैमो/ट्रक			
11	बस घड़ी		
12	मिनी बस		
13	पिकअप/समकक्ष वाहन ()		
14	मिनी ट्रक 407		
15	मिनी ट्रक 609		
16	LP ट्रक 18 फुट/1109 19 फुट		

नोट:- दर सभी प्रकार के कर, पेट्रोल/डीजल/ऑयल एवं चालक सहित हैं।

दिनांक:
संलग्न :-

दर 10 के हस्ताक्षर
मध्य 1 वी मोहर

विड की शर्तें

नोट :- बोलीदाता को विड में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1. विड यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर भेजी जानी चाहिए। जिस जरूर “वाहन किराये हेतु विड” अंकित होना चाहिए।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी रिथिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। उस का अंकन अंकों के साथ शब्दों में भी किया जाना चाहिए। शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।
3. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाये जायेंगे तथा वाहन से अंकित समरत कागजात एवं वैध लाइसेंस चालक को साथ रखने होगे।
4. आरटीओ, द्वारा निर्धारित समरत कर फर्म को ही वहन करने होंगे तथा आदान-होने पर परमिट भी फर्न को स्वयं अपने खर्च पर ही प्राप्त करना होगा।
5. किसी भी गांत्रिक/परिरिथितिजन्य त्रुटि के कारण बोर्ड के प्रयोजनार्थ की जानकी यात्रा में यदि वाहन की चालक एवं वैध पर बोर्ड को अतिरिक्त मूल्य वहन करना पड़ा तो उक्त राशि जर्म के बिल में से समायोजित की जायेगी।
6. वाहन चालक द्वारा अपनी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वाहन चालक को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
7. वाहन चालक को नियमानुसार लॉग बुक का संघारण करना होगा।
8. विड में दी गई दरों अनुबंध से एक वर्ष तक के लिए नान्य होगी।
9. अनुमोदित प्रदायक की दरें स्वीकृत किये जाने एवं कार्य आदेश दिये जाने पर 15 दिवस में उचित राशि के नॉन ज्यूडिशियल रेटमप पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुसार करारनामा निष्पादित करना होगा।
10. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिरचित करना होगा कि प्रत्येक वाहन जो बोर्ड का कार्य हेतु प्रस्तुत होना है, में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से कार्य कर रहा है।
11. बोर्ड के प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रीडिंग असामान्य प्रतीत होती है तो या माईलोमीटर चलते चलते बन्द हो जाता है तो किलोमीटर का निर्धारण पी.डब्ल्यू.डी./रोडवेज है इकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान किया जा सकेगा।
12. सामान्यतः वाहन राजस्थान राज्य में रिथित शहरों में ही भेजे जायेंगे, किन्तु अचानकता पड़ने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते हैं। राजस्थान के बाहर भेजे जाने पर बोर्ड अलग कर वहन नहीं करेगा। समरत कर फर्म को ही वहन करने होंगे।
13. वाहन के मूल प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा मंगाये जाने के बलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
14. अनुबंध अवधि में किसी भी संविदा विरुद्ध रिथिति फर्म/व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होती है तो बोर्ड को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जल्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. बोलीदाता अपनी विड अथवा उसके किसी भी भाग को ना तो किसी अन्य एवं को सौंप सकेगा एवं न ही किसी को आगे विड पर दे सकेगा।
16. सफल बोलीदाता को करार के समय विड मूल्य की राशि वा 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन (Performance Security) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करने होंगे जिससे उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। बोली प्रतिभूति राशि लिंगड़ ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार होंगी। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि पर व्याज नहीं होगा।

17. निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सचिव का निर्णय ही मान्य होगा।
18. किसी भी प्रकार का अग्रिम संदाय बोर्ड द्वारा नहीं किया जावेगा।
19. वाइन सफल बोलीदाता को बोर्ड के निर्देशानुसार निर्देशित अधिकारी के लिए उत्पलब्ध कराना होगा। वाहन समय पर नहीं पहुँचने पर वाहन मालिक की कोरट एवं रिस्क पर दाता किराये पर लिया जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति वाहन मालिक से की जायेगी।
20. वाहन वर्ष 2014 एवं इसके बाद के अच्छी कन्डीशन के होने चाहिये। यदि दिए गए परिस्थितियों में वर्ष 2014 से पूर्व के मॉडल के वाहन ठेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं पर देखते हुए किराये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजिरथान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का होगा।
21. वाहन का पजीघन "टी" "पी" अथवा "जी" श्रेणी में होना चाहिये।
22. फर्म द्वारा प्रस्तुत विलों के भुगतान में से प्रत्येक भुगतान में से नियमानुसार टी.पी.स. काटा जावेगा।
23. निश्चित दिनांक व प्राप्ति समय के पश्चात् प्राप्त यिन्द्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
24. दरें डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल एवं वाहन चालक सहित दी जायेगी तथा अनुबंध की अधिकारी के दौरान यदि डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल के मूल्य में वृद्धि होती है तो भी दरों में वृद्धि नहीं दी जायेगी।
25. यदि वाहन किसी कारणवश खराब हो जाता है तो वाहन स्वामी को अधिकारी द्वारा रत्तर से दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
26. बोर्ड से खुचना प्राप्त होने के बाद तुरन्त बोलीदाता को वाहन किराये पर उपलब्ध कराना होगा यदि बोलीदाता इसमें असफल रहता है तो बोर्ड द्वारा खुले बाजार से वाहन किराये लेने पर इसकी अन्तर राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी।
27. यदि बोलीदाता समय पर/सही वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है अथवा इसका/वाहन चालक का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो बोर्ड को किसी भी समय पर उचित अवसर देकर अनुबंध समाप्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
28. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू/प्रभावी समरत दायित्वों/नियमों का बोलीदाता द्वारा निर्वहन करना होगा।
29. अनुबंधित यात्रा में यात्रा के दौरान वाहन चालक की लापरवाही या वरसात वा इसमें घाटरपूर त्रिपाल नहीं लगाने या अन्य लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो वह अनुबंधित वाहन मालिक से वसूली जायेगी।
30. यात्रा के दौरान दुर्घटनाप्रत्यक्ष/टूट-फूट/चालान आदि होने पर इस कार्यालय कोई दायित्व नहीं होगा तथा उससे स्थिति में होने वाले व्यय के लिए संबंधित अनुबंधकर्ता उत्तरदायी रहता। यदि दुर्घटना में इस कार्यालय/संस्था को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व अनुबंधकर्ता वाहन मिक्रो/फर्म का होगा।
31. पथकर (टोलटैक्स) एवं पार्किंग चार्जिंग के सिवाय समरत कर व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे। व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म/ द्वारा संदत पथकर (टोलटैक्स) एवं पार्किंग चार्ज का पुनर्भरण संदाय की रखीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
32. किसी भी वैधानिक बाद की स्थिति में फर्म द्वारा संस्थित किये जाने वाले दावे वा आवश्यकता पड़े जयपुर में स्थित न्यायालय में ही प्रारंभ करने होंगे, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

सचिव

कर्मचारी चयन बोर्ड,
जयपुर

उपरोक्त समरत शर्त मुझे/हमें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं फर्म की मोहर

अनुबन्ध पत्र

1. यह करार अनुकूलित प्रदायक को एक और मैसर्स "अनुमोदित प्रदायक" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ के अनुकूल हो इसके बारे में उनकी कारी, निष्पादक तथा प्रशासक समिलित समझे जाएंगे।) दूसरी ओर सधिय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा इसमें इसके पश्चात समझे जाएंगे) के दीवानी सम्पन्न किया गया है।
2. यह करार दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा। इसके आगे एक वर्ष की अपनी अनुकूलित सहमति से उसी दर से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके हिंडर बोर्ड वायर नहीं है।
3. अनुमोदित प्रदायक रासी निड शर्ट का पालन करते हुए सधिय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति दरों (जो उन्होंने अपने पत्र क्रमांक दिनांक हासा सूचित की है) में डीजल/पेट्रोल, अन्य अन्य सर्वी कर टोल टैक्स, GST सहित वाहन किराये पर उपलब्ध कराने को सहमत होगा।
4. जयपुर से गहर ली यात्राओं हेतु वाहनों के लिए 250 किलोमीटर प्रतिदिन न्यूनतम चलन की सहमति देय होगा। स्थानीय कार्यों हेतु न्यूनतम 80 किलोमीटर प्रतिदिन चलन आवार पर देय होगा। एक दिन में दूर्भाग्य में वाहन उपलब्ध कराने से अगले 24 घंटे तक की जायेगी। वाहन कार्यालय में आते ही प्रभारी को वाहन के लिए की प्रविष्टि एवं वाहन का किलोमीटर दर समय नोट कराना होगा।
5. अनुमोदित प्रदायक ने रूपये प्रतिभूति राशि के रूप में स्वीकृत संख्या हासा जामा करा दी है।
6. रास्ते में वाहन खराच होने पर उसे ठीक कराने में लगने वाले समय एवं व्यय को बोर्ड वहन शर्ट द्वारा तथा कर्म को तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। जिसमें होने वाले समस्त व्यय कर्म ही वहन करनी। विरोध प्रकार का अग्रिम वाहन मालिकी वगे नहीं दिया जायेगा।
7. इस करार के संग्रह में होने वाले समस्त विवाद इस करार के नियमन सम्बन्धी समरत प्रश्न सहित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विनियिक्त किये जाएंगे तथा बोर्ड के सधिय का विनियम अहिम होगा।
8. बोर्ड द्वारा जारी शर्ट ही मान्य होगी।
9. भुगतान पर नियमानुसार टी.जी.एस. काटा जायेगा।
10. GST जमा कराने का प्रमाण पत्र अगले वित के साथ प्रत्युत करना होगा। जिसका अनुवाद में लिखित किया जाना संभव नहीं होगा।
11. बाइन का पंजीयन "टी" "धी" अथवा "जी" श्रेणी में होना चाहिये।
12. वाहन वर्ष 2013 एवं इसके बाद के अच्छी कान्फीशन के द्वेष चाहिये वहि विशेष परिषेकियों में वर्ष 2013 से पूर्व के मॉडल के वाहन हेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई रोकाओं को देखते हुए निर्धारित कियाये से संतुष्टि की कठौती करने का अधिकार सधिय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को होगा।
13. विड प्राप्ति में वर्णित एवं संलग्न सभी शर्ट मान्य होगी।
14. चिड की शर्ट करार का ही भाग होगी। दरे नियमानुसार होंगी :-

" दर अनुसूची "

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति किमी GST टालटैक्स व अन्य सम्बन्धी गति कीमी (स्थानीय कार्यों के लिए विनियिक्त राजस्थान/राज्य से गहर की यात्राओं के लिए GST टालटैक्स व अन्य सम्बन्धी गति सहित (प्रतिदिन न्यूनतम 80 किमी चलन के अधार पर))
A- टैक्सी वाहन		
1	टाटा इंडिका/ समाक्ष वाहन (Non A.C.)	
2	टाटा इंडिका/ समाक्ष वाहन (A.C.)	
3	टाटा इंडिका/ रिक्ष डिजायर/ SX-4 समाक्ष (Non A.C.)	
4	टाटा इंडिका/ रिक्ष डिजायर/ SX-4 समाक्ष (A.C.)	
5	टंपरा/ समाक्ष वाहन (Non A.C.)	
6	टंपरा/ समाक्ष वाहन (A.C.)	
7	पिंगर/ ट्रॉफर/ समाक्ष वाहन (Non A.C.)	
8	पिंगर/ ट्रॉफर/ समाक्ष वाहन (A.C.)	
9	इनोवा/ Xylo/ समाक्ष वाहन (Non A.C.)	
10	इनोवा/ Xylo/ समाक्ष वाहन (A.C.)	
B- मिनी बस/ वास/ टैम्पो/ ट्रक		
11	वास बसी	
12	मिनी बस	
13	पिंगर/ समाक्ष वाहन ०	
14	पिंगर ट्रक ४०७	
15	पिंगर ट्रक ६०९	
16	I.P ट्रक १० फूट/ *१०९ १९ फूट	

इसके साक्ष में इसके दोनों पक्षों ने दिनांक को आपने हस्ताक्षर किया है।

अनुमोदित प्रदायक के हस्ताक्षर

साक्षी नं. 1

साक्षी नं. 2

दोहरे के नं. गी ओर से

संस्थान के नाम